रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 1976/वैशाख 21, 1898
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 1976/VAISAKHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th May 1976

SUBJECT.—*Canalisation of certain items of chemicals, drugs and pharmaceutical through State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Pvt. Ltd., (CAPCO).*

No. 36-ITC(PN)/76.—Attention is invited to Section III of Import Trade Control Policy (Red Book—Volume 1) for April '76—March '77 which *inter alia* indicates the items of chemicals, drugs and pharmaceuticals, import of which is canalised through the State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Pvt. Ltd., (CAPCO).

2. It has been decided that all import licences/release orders issued for import of chemicals, drugs and pharmaceuticals in the name of the State Trading Corporation of India Ltd., prior to 1st April, 1976 and remaining unutilised/unserviced on that date, shall be deemed to have been transferred to State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Pvt. Ltd. (CAPCO).

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 मई, 1976

विषय :—रसायनों, औषध और भेषजों की कुछ मदों का स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रा० लि० (कैपको) के माध्यम से मार्गीकरण ।

सं० 38–आई० टी० सी० (पी एन)/76.—अप्रल '76–मार्च '77 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक––बा० I) के खंड–3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ रसायनों, औषध और भेषजों की उन मदों को निर्दिष्ट करता है जिनका आयात स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रा० लि० (कैपकों) के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के नाम में रसायनों, औषध और भेषजों के आयात के लिए 1–4–1976 से पहले जारी किए गए सभी आयात लाइसेंस / रिहाई आदेश और जो इस तिथि को उपयोग/प्रयोग किए बिना रह गए हैं वे स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मेस्युटिकल्स कार्पोरेशन आफ इंडिया प्रा० लि० (कैपको) को हस्तान्तरित किए गए समझे जाएंगे ।

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976